10/2/23 पत्रावली पेश हुई, प्रार्थी अधिवक्ता प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा.दी० मे वर्णित कारणो को दोहराते हुए दिनांक 11.11.2004, को अवकाश घोषित हो जाने की आशंका के रहते न तो प्रार्थी और न ही प्रार्थी के अधिवक्ता वक्त आवाज पर उपस्थित नही हो पाने का सद्भावक कारण दर्शाते हुए अपने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद पत्र को जो दिनांक 11-11-04 को खारीज हो गया; उसे पुनः नम्बर पर लिये जाने की ईस्तदुआ की। इसके विपरीत थाना खण्डन मे विपक्षीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अनुपस्थिति का कोई कारण संतोषप्रद न होने से एव प्रार्थी अपनी लापरवाही के लिए स्वयं जिम्मेदार होने का कथन किया। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया कि प्रार्थीगण दल्ला और लादु दोनो अथवा इनमे से किसी एक व्यक्ति के भी प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 व्य०प्र० पर हस्ताक्षर नही है और न उनमे मे किसी का कोई शपथ पत्र पेश नही किया गया। यही नही प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी दल्ला व लादु का कोई वकालतनामा भी साथ मे प्रस्तुत नही किया है, इसलिए प्रार्थीगण द्वारा न तो आवेदन पर किसी के हस्ताक्षर न होने से, शपथपत्र भी इन दोनो प्रार्थी मे से किसी का भी शपथ पत्र नही होने से यह प्रार्थना पत्र मेनटेनेबुल नही है, और न प्रोपर है। क्यो की वादीगण का दावा अदमहाजरी व अदम पैरवी मे खारीज होने ही वादीगण द्वारा नियुक्त मान्यता प्राप्त अधिवक्ता था [illegible] वाद पत्र के साथ प्रस्तुत वकालतनामा [illegible] हो चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.02.14 15:37:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	इसलिए प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे। अपने कथन की पुष्टि मे 2014 (3) W.L.N. 97 पर प्रकाशित न्यायिक उद्धारण जयदेवी पांडे बनाम रामगोपाल सोनी वगैरा पेश किया।
	मैने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्षो की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व्य० प्र० पर प्रार्थीगण दल्ला और लादु दोनो मे से किसी के हस्ताक्षर न होना ज्ञात होता है। ऐसे ही शपथपत्र पर भी किसी के हस्ताक्षर भी पक्षकार के नही है। साथ ही प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण दल्ला और लादू द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामा भी पत्रावली पर प्रस्तुत नही होना साफ तौर से ज्ञात होता है। जो अखण्डनीय तथ्य है पत्रावली की आदेशिका के अध्ययन से 18 वर्ष तक ऐसे आधार होना प्रार्थनापत्र को लंबित रखना घोर उदासिनता, निष्क्रियता प्रकट होती है। साथ ही जो भी अनुपस्थिति का कारण भी दर्शाया गया है वह भी संतोषप्रद एंव युक्तियुक्त न होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 जा०दी० को खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मगतर से कम हो।
	Signature Not Verified Digitally signed by Narayan Lal Jingar Date: 2023.02.14 15:37:24 IST Reason: SelfAttested न्यायिक अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा